



ക.രാ.ബി.നി.
E.S.I.C.

എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ
(തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



सत्यमेव जयते

റീജിയണൽ ഓഫീസ്/ क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE
പഞ്ചദീപ് ഭവൻ, നോർത്ത് സ്വരാജ് റൗണ്ട്, തൃശ്ശൂർ - 680020
पंचदीप भवन, उत्तरी स्वराज राउंड, तृशूर - 680020
PANCHDEEP BHAWAN, NORTH SWARAJ ROUND, THRISSUR-680020
Phone : 0487-2331080 /2331351/2331412
Email: rd-kerala@esic.nic.in Website: www.esic.nic.in

सं.54.(E.115488).प्रशा

दिनांक:03-06-2025

वर्ष 2025 का कार्यालय आदेश सं 145
Office Order No. 145 of 2025

सक्षम प्राधिकारी ने दि 12.02.2025 की विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित पदधारी को भारत सरकार के ज्ञापन सं 35034/3/2008/-स्था.(डी) दिनांक 19.05.2009 व 35034/3/2015-स्था(डी) दिनांक 28.09.2016(सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन) के अनुसरण में एम ए सी पी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का अनुमोदन प्रदान किया है।

The Competent Authority has approved Financial upgradation under MACP Scheme in accordance with Govt. Of India OM.No.35034/3/2008/-ESTT.(D) dated 19.05.2009 and 35034/3/2015-Estt(D) dated 28.09.2016(Implementation of 7th CPC recommendations) to the following officials on the recommendation of the Departmental Screening Committee held on 12.02.2025.

क्र सं S.No	अधिकारी का नाम(श्री/श्रीमती) Name of official(Sh/Smt)	फा सं PF No.	पदनाम Designation	देय वेतन मैट्रिक्स लेवल Pay matrix Level due	देय एमएसीपी व तिथि जब से वित्तीय उन्नयन की सिफारिश की गई है MACP due and date from which financial up-gradation recommended
1.	राजिथा रघु Rajitha Raghu	1293	सहायक Assistant	Level 7	3 rd MACP w.e.f 17.07.2025
2.	अरुण लाल बी Arun Lal B	1219	सहायक Assistant	Level 7	3 rd MACP w.e.f 20.07.2025
3.	जैस्मिन जोस Jasmine Jose	1225	सहायक Assistant	Level 7	3 rd MACP w.e.f 20.07.2025
4.	श्रीजीश के वी Srejeesh K V	1273	सहायक Assistant	Level 7	3 rd MACP w.e.f 20.07.2025
5.	अनीशकुमार के.के Anishkumar KK	1519	सहायक Assistant	Level 7	3 rd MACP w.e.f 15.07.2025
6.	हनीश एन पी Haneesh N P	1521	सहायक Assistant	Level 7	3 rd MACP w.e.f 15.07.2025
7.	प्रवीणकुमार जी पिल्लई Praveenkumar G Pillai	1135	सहायक Assistant	Level 7	3 rd MACP w.e.f 27.07.2025
8.	संध्या टी Sandhya T	1291	सहायक Assistant	Level 7	3 rd MACP w.e.f 21.07.2025
9.	वेकटेश एस कनिमेल Venkatesh S Kannimel	1306	सहायक Assistant	Level 7	3 rd MACP w.e.f 17.07.2025
10.	दीप्ति राधाकृष्णन Deepthi Radhakrishnan	1277	सहायक Assistant	Level 7	3 rd MACP w.e.f 31.07.2025
11.	रेस्मी एस Resmi S	1207	सहायक Assistant	Level 7	3 rd MACP w.e.f 31.07.2025
12.	श्रीजामोल पी.के Sreejamol PK	1233	सहायक Assistant	Level 7	3 rd MACP w.e.f 30.07.2025
13.	अनुपमा यू एस Anupama U S	1228	सहायक Assistant	Level 7	3 rd MACP w.e.f 20.07.2025

14.	रथीश सी Ratheesh C	1308	सहायक Assistant	Level 7	3 rd MACP w.e.f 17.07.2025
-----	-----------------------	------	--------------------	---------	---------------------------------------

तथापि एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन दि 19.05.2009 के का. ज्ञा. में उल्लिखित निबधन एवं शर्तों व इस विषय पर मुख्यालय द्वारा जारी अनुवर्ती स्पष्टीकरणों के अधीन होगा।

The financial upgradation under MACP Scheme shall, however be subject to terms and conditions mentioned in OM dated 19.05.2009 and subsequent clarifications issued by Headquarters Office on the subject.

एम ए सी पी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के समय नियमित पदोन्नति पर उपलब्ध वेतन नियतन का लाभ भी अनुमत होगा। जिस लेवल में पदधारी का उन्नयन हुआ है, उसमें उन्हें एक वेतनवृद्धि दी जाएगी व उन्हें उन्नयन किए गए पद के लेवल में इस प्रकार प्राप्त होने वाले आँकड़े के बराबर वाले सेल में रखा जाएगा। किन्तु यदि उन्नयन किए गए लेवल में इस प्रकार का कोई सेल उपलब्ध न हो, तो उन्हें उस लेवल के अगले उच्चतर सेल में रखा जाएगा। तब नियमित पदोन्नति के समय कोई और वेतन नियतन प्रदान नहीं किया जाएगा यदि वह एमएसीपी के अधीन दिए गए वेतन मैट्रिक्स के समान लेवल में हो। तथापि, वास्तविक पदोन्नति के समय, यदि यह एमएसीपी के अधीन उपलब्ध वेतन लेवल से उच्चतर पद हुआ, तो उन्हें एमएसीपी के कारण उनके द्वारा प्राप्त हुए आँकड़े के समकक्ष उस पदोन्नत लेवल के सेल में रखा जाएगा जिसमें उनकी पदोन्नति हुई है। यदि पदोन्नत लेवल पर ऐसा कोई सेल उपलब्ध न हुआ, तो उन्हें उस लेवल के अगले उच्चतर सेल में रखा जाएगा। पदधारी के पास इस निर्धारण को या तो पदोन्नति की तारीख पर या उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले विकल्प के अनुसार अगली वेतन वृद्धि की तारीख से कराने का विकल्प होगा।

Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of Financial Up-gradation under MACP Scheme. One increment shall be given in the level from which the employee is upgraded and he/she shall be placed at a cell equal to the figure so arrived at in the level of the post to which upgraded and if no such cell is available in the level to which upgraded, he/she shall be placed at the next higher cell in that level. There shall be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same level in Pay Matrix as granted under MACP. However, at the time of actual promotion, if it happens to be in a post carrying higher pay level than what is available under MACPs, then he/she shall be placed in the level to which he/she is promoted at a cell in the promoted level equal to the figure being drawn by him/her on account of MACP. If no such cell is available in the level to which promoted, he/she shall be placed at the next higher cell in that level. The employee may have an option to get this fixation done either on the date of promotion or w.e.f. the date of next increment as per the option to be exercised by him.

वेतन तथा वेतन नियतन की अगली तिथि सीसीएस(आरपी) नियम 2016 के नियम 10 के अनुसरण में नियत की जाएगी। पदधारी, इस आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर एफआर-22(1)(ए)(1) के अंतर्गत वेतन नियतन हेतु अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

The pay and the date of increment would be fixed in accordance with Rule 10 of CCS(RP) Rules, 2016. The officials are entitled to exercise option under FR-22(1)(a)(1) for fixation of pay, if any, within one month from the date of issue of this order.

उप निदेशक [प्रशासन]
Deputy Director(ADM)

प्रति To,

- संबंधित पदधारी को, उनके नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से
The officials concerned through their Controlling Officers.

2. संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय कोझीकोड/एर्नाकुलम/कोल्लम/तिरुवनंतपुरम आवश्यक कार्रवाई हेतु
The Jt. Director, SRO Kozhikode/Ernakulam/Kollam/Thiruvananthapuram for necessary action.
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि अस्पताल आश्रमम/एजुकोन/उद्योगमंडल आवश्यक कार्रवाई हेतु
MS ESICH Asramam/Ezhukone/Udyogmandal for further necessary action
4. संबंधित निजी फाइल
Personal File Concerned.
5. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक, तृशूर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
Website content Manager, Thrissur for uploading on the website.